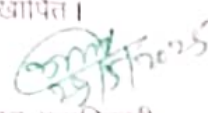
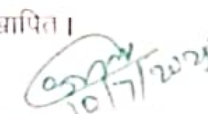


अंचल अधिकारी का कार्यालय, कुण्डहित

आदेश फलक

निलाम पत्र वाद संख्या :- 193 / 15-16

आदेश की क्रमांक संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
31.08.20	जिला निलाम पत्र पदाधिकारी जामताड़ा के पत्राक- 82/जि0 नी0 दिनांक- 28.11.2017 द्वारा निलाम पत्र दायर करने हेतु सूची प्राप्त हुआ है। सूची के अनुसार श्री/श्रीमती/शुश्री <u>सोना मुनी डू</u> ग्राम <u>मेहरापुर</u> पिता/पति <u>कुण्डहित</u> थाना <u>कुण्डहित</u> जिला <u>जामताड़ा</u> द्वारा बैंक से 15,223/- रूपया लिया गया है। ऋण वसूली हेतु देनदार को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक..... को उपस्थापित करें 31/08/20 नी0 पत्र पदा0	

आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिप्पती तारीख रहित
29.05.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि काफी दिनों से अभिलेख में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। नीलाम पत्र संख्या समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए संबंधित शाखा प्रबंधक से वाद में सन्निहित राशि की अद्यतन वसूली / सामंजित राशि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग करें। अगली तिथि दिनांक- 10.07.25 को रखें। लेखापित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	
10.07.25	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में अद्यतन कार्रवाई के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक- 406 /स०, दिनांक- 30.05.25 द्वारा संबंधित बैंक को बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराते हुए अद्यतन वसूली/सामंजित राशि तदपरचाद बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक <u>पुण्डित</u> द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वाद सं० 193/15-16 के देनदार श्री/सुश्री/श्रीमती <u>सोना मनी डू</u> सम्पूर्ण बकाया राशि जमा कर दी गई है। अतः देनदार द्वारा वाद में सन्निहित राशि जमा कर दिये जाने तथा शाखा प्रबंधक- <u>पुण्डित</u> द्वारा समर्पित बकाया रहित अनापति प्रमाण पत्र (NOC) के आलोक में इस वाद की कार्रवाई <u>समाप्त</u> की जाती है। पंजी X में भी इन्द्राज करें। लेखापित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।  नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, कुण्डहित।	